विधि एवं विधिक कार्य विभाग
विधि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 18, 1999

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1995
(यथा अद्यतन संशोधित)

जी.एस.आर. 24:- विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्या 59) द्वारा यथा-संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात् इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम व प्रारंभः- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 है।

(2) ये नियम राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। [दिनांक 6 अगस्त, 1996 से प्रवृत्त]

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :-

(क) '**अधिनियम**' से समय-समय पर यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 39) अभिप्रेत है;

(ख) '**अध्यक्ष**' से राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) '**जिला प्राधिकरण**' से अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) '**उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति**' से अधिनियम की धारा 8-क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है;

(ड.) '**सदस्य**' से अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त राज्य प्राधिकरण का सदस्य या, यथास्थिति अभिप्रेत है;

(च) '**सचिव**' से अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव या, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 8-क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव या, यथास्थिति अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है;

(छ) '**राज्य प्राधिकरण**' से अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ज) **'तालुक विधिक सेवा समिति '** से अधिनियम की धारा 11-क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है:

(झ) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे ही अर्थ होंगे , जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः समनुदेशित किये गये हैं।

3. धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या , अनुभव और अर्हताएं:- (1) राज्य प्राधिकरण में सदस्यों की संख्या अठारह से अधिक नहीं होगी।

(2) राज्य प्राधिकरण के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :-

(1) राज्य का महाधिवक्ता;

(2) सचिव, वित्त विभाग;

(3) सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग;

(4) राज्य का पुलिस महानिदेशक;

(5) निदेशक, समाज कल्याण विभाग;

(6) अध्यक्ष, राज्य आयोग, अन्य पिछडा वर्ग;

(7) अध्यक्ष, राज्य बार कौंसिल।

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इस नियम के उप नियम (4) में विहित अनुभव और अर्हताएं रखने वालों में से अन्य सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वहः-

(क) कोई विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता , जो कि समाज के कमजोर वर्गों , जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियां , अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, बच्चें, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी शामिल हैं, के उत्थान में लगा हुआ है, या

(ख) विधि के क्षेत्र में कोई विख्यात व्यक्ति या,

(ग) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो विशेषतया विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में हितबद्ध हो।

4. धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य- राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित होंगे :-

(क) पात्र और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करना;

(ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विधिक सेवा स्कीमों और कार्यक्रमों की रूपात्मकता का परिकलन और उनके दक्षतापूर्ण प्रबोधन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

(ग) राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक , गृह व्यवस्था, वित्त और बजट मामलों के विषय में शक्तियों का प्रयोग करना;

(घ) राज्य प्राधिकरण की सम्पत्तियों, अभिलेखों और निधियों का प्रबन्ध करना;

(ङ) राज्य प्राधिकरण के सही और समुचित लेखों का रख-रखाव , जिसमें उनकी सावधिक जांच और संपरीक्षा भी सम्मिलित

(च) उक्त प्राधिकरण को वार्षिक आय और व्यय का लेखा तथा तुलन-पत्र तैयार करना;

(छ) सामाजिक कार्य समूह और जिला और तालुका विधिक सेवा प्राधिकारियों से सम्पर्क करना;

(ज) अद्यतन और पूर्ण सांख्यिक सूचना , जिसमें समय-समय पर विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति भी सम्मिलित है, का रख-रखाव;

(झ) वित्तीय सहायता के प्रस्तावों की प्रक्रिया और उनके उपयोग प्रमाण-पत्रों को जारी करना;

(ञ) राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन करना और विधिक सेवा कार्यक्रमों से संबंधित बैठकें , सेमीनार और कार्यशालाएं बुलाना और उन पर रिपोर्ट तैयार करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना;

(ट) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनसाधारण को सूचित करने के लिए वीडियो/वृत्तचित्रों , प्रचार सामग्री, साहित्य और प्रकाशनों को बनाना / प्रस्तुत करना;

(ठ) ग्रामीण विवादों के समाधान पर जोर डालना और ग्रामीण लोगों के लिए उनके द्वार पर ग्रामीण विवादों को निपटाने के लिए प्रभावी और अर्थपूर्ण विधिक सेवा की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय करना;

(ङ) ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो कि अधिनियम की धारा 4 (ख) के अधीन प्रतिपादित स्कीमों के अधीन उसे सौंपी गई है;

(ढ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राज्य प्राधिकरण के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए समीचीन हों।

5. धारा 6 की उप-धारा (4) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधि और उनसे संबंधित अन्य शर्तें:- (1) राज्य सरकार द्वारा नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के सदस्य दो वर्ष की अवधि तक रहेंगे और पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(2) नियम 3 की उप नियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के सदस्य को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि राज्य सरकार की राय में उसे सदस्य के रूप में बनाया रखा जाना वांछनीय न हो।

(3) यदि नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य , किसी भी कारण से राज्य प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहता है, तो रिक्ति उसी रीति के अनुसार भरी जायेगी , जिससे मूल निर्देशन हुआ हो और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य की शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सभी सदस्य , राज्य प्राधिकरण के कार्य के संबंध में की गई यात्रा के लिए यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे और राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अनुसार, जो ग्रेड 'ए' के अधिकारियों पर लागू हों, संदत्त किये जायेंगे।

(5) यदि नामनिर्दिष्ट सदस्य सरकारी कर्मचारी है , तो वह यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते केवल एक ही सैट या तो मूल विभाग से या, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण से लेने का हकदार होगा।

(6) राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव , पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा , जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(7) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन और भत्ते, फायदों और हकदारियों जैसे समस्त विषयों और अनुशासनात्मक विषयों में सदस्य सचिव, राज्य सरकार के नियमों द्वारा शासित होगा और वह राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होगा।

[1]"6. धारा 6 की उप-धारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संरचना, संख्या और भर्ती:-

(1) राज्य प्राधिकरण में इन नियमों से संलग्न अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट पद होगें। प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाये।

(2) सदस्य-सचिव और उप सचिव को छोड़कर , राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ नियम , 2002 के उपबन्ध और उसके अधीन जारी आदेश इस उपान्तरण के साथ लागू होंगे कि उसमें नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देश से राज्य प्राधिकरण के निर्देशों का अर्थ लगाया जायेगा और सीधी भर्ती या पदोन्नति के प्रयोजन के लिए उसमें किसी प्राधिकारी, अधिकारी या समिति के निर्देशों से प्राधिकरण, प्राधिकृत अधिकारी या राज्य प्राधिकरण द्वारा उसके अधिकारियों या सदस्यों में से इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के निर्देशों का अर्थ लगाया जायेगाः

परन्तु यह कि यदि राज्य प्राधिकरण के पदों और राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ नियम, 2002 के अधीन के पदों के बीच नाम पद्धति का कोई अन्तर है तो राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष पदों की समतुल्यता के प्रश्न को विनिश्चित् करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा।

(3) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम , 2013 के प्रारम्भकी तारीख पर ऐसे समस्त व्यक्तियों की , जो किसी पद पर तदर्थ/स्थानापन्न/अस्थाई आधार पर कार्य कर रहे हैं, राज्य प्राधिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा छंटनी की जायेगी, बशर्ते कि वे नियमों में विहित अर्हता या ऐसी विहित अर्हता रखते हों जिसके आधार पर ये व्यक्ति तदर्थ/स्थानापन्न/अस्थाई नियुक्ति के लिए चयनित किये गये थे।

---

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2013, अधिसूचना दिनांक 25.09.2013 राज. राज-पत्र विशेषांक दिनांक 26.09.2013 से प्रतिस्थापित।

(4) यदि राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त नियमों को कार्यान्वित करने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से , राज-पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा , राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके लागू करने के लिए ऐसे और उपान्तरण कर सकेगा जैसा परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो।"

7. धारा 6 की उप धारा (6) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें और वेतन तथा भत्ते :- (1) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी इन नियमों की अनुसूची में प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित वेतनमान में समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे।

(2) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन और भत्तों, फायदों और हकदारियों जैसे समस्त विषयों और अनुशासनात्मक विषयों में राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के उन नियमों द्वारा शासित होंगे , जो समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

(3) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं , भत्तों और फायदों के हकदार होंगे , जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

8. धारा 8-क की उप धारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं:- कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह उच्च न्यायालय का उप रजिस्ट्रार की रैंक से अनिम्न कोई अधिकारी न हो।

9. धारा 8-क की उप धारा (5) के अधीन उच्च न्यायायल विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उप-धारा (6) के अधीन उनकी सेवा की शर्तें तथा उन्हे संदेय वेतन और भत्ते :-
[2]"(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में इन नियमों से संलग्न अनुसूची-ख में विनिर्दिष्ट पद होंगे। प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाये। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर नियुक्ति राज्य प्राधिकरण द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों में से की जायेगी।"

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी इन नियमों की अनुसूची में प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित वेतनमान में समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे।

(3) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन और भत्तों, फायदों और हकदारियों जैसे समस्त विषयों और अनुशासनात्मक विषयों में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के उन नियमों द्वारा शासित होंगे, जो समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

(4) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और फायदों के हकदार होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

स्पष्टीकरण- राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के लिए पृथक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति भी गठित की जा सकेगी।

---

2. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम , 2013, अधिसूचना दिनांक 25.09.2013 राज. राज-पत्र विशेषांक दिनांक 26.09.2013 से प्रतिस्थापित।

10. धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं :- (1) जिला प्राधिकरण में ग्यारह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) जिला प्राधिकरण के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:-

(क) जिला मजिस्ट्रेट;

(ख) पुलिस अधीक्षक;

(ग) न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, यदि कोई हो;

(घ) न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, यदि कोई हो;

(ण) न्यायाधीश, श्रम न्यायालय/न्यायाधीश औद्योगिक अधिकरण, यदि कोई हो;

(च) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट;

(छ) अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन; और

(ज) जिला सरकारी अधिवक्ता ।

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इस नियम के उप-नियम (4) में विहित अर्हता और अनुभव रखने वालों में से अन्य सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति जिला प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,-

(क) कोई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता , जो कि समाज के कमजोर वर्गों , जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियां , अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण मजदूर भी षामिल हैं, के उत्थान में लगा है; या

(ख) विधि के क्षेत्र में कोई विख्यात व्यक्ति; या

(ग) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में हितबद्ध हो।

[3]**11. धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संरचना, संख्या और भर्ती:-** (1) जिला प्राधिकरण में इन नियमों से संलग्न अनुसूची-ग में विनिर्दिष्ट पद होंगे। प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाये।

(2) जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती राज्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से जिला प्राधिकरण द्वारा की जायेगी और ऐसी भर्ती के लिए [4]राजस्थाभनजिला न्याूयालय लिपिकवर्गीय स्था पन नियम, 1986 या, यथास्थिति, राजस्थामन अधीनस्थी न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 के उपबन्ध इस उपान्तरण के साथ लागू होंगे कि उसमें "राजस्थान उच्च न्यायालय" और "जिला एवं सत्र न्यायाधीश" के निर्देशों से क्रमशः "राज्य प्राधिकरण" और "जिला प्राधिकरण" के निर्देशों का अर्थ लगाया जायेगा।

---

3. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम , 2013, अधिसूचना दिनांक 25.09.2013 राज. राज-पत्र विशेषांक दिनांक 26.09.2013 से प्रतिस्थापित।

4. राजस्था नराज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम , 2025, अधिसूचना दिनांक 17.03.2025 राज. राज-पत्र

विशेषांक दिनांक 19.03.2025 से प्रतिस्थापित।

12. धारा 9 की उप-धारा (6) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें और वेतन तथा भत्तेः- (1) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, इन नियमों की अनुसूची में प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित वेतनमान में समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे।

(2) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन और भत्तों, फायदों और हकदारियों जैसे समस्त विषयों और अनुशासनात्मक विषयों में जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी , राज्य सरकार के उन नियमों द्वारा शासित होंगे , जो समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

(3) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं , भत्तों और फायदों के हकदार होंगे , जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

13. धारा 11-क की उप धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या,अनुभव और अर्हताएंः- (1) तालुक विधिक सेवा समिति में सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) तालुक विधिक सेवा समिति के पदेन सदस्य निम्नलिखित होंगेः-

(1) उपखण्ड अधिकारी;

(2) उपखण्ड पुलिस अधिकारी;

(3) अध्यक्ष, स्थानीय बार एसोसिऐशन।

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इस नियम के उप-नियम (4) में विहित अर्हता और अनुभव रखने वालों में से अन्य सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वहः-

(क) कोई विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता , जो कि समाज के कमजोर वर्गों , जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियां , अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण मजदूर भी शामिल हैं, के उत्थान में लगा है; या

(ख) विधि के क्षेत्र में कोई विख्यात व्यक्ति; या

(ग) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में हितबद्ध हो।

[5]"**14. धारा 11 क की उप-धारा (3) के अधीन ता लुक विधि सेवा समिति के कर्मचारियों की संरचना , संख्या और नियुक्तिः-** तालुक विधिक सेवा समिति में इन नियमों से निम्न अनुसूची-घ में विनिर्दिष्ट पद होंगे। प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाये। तालुक विधिक सेवा समिति के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर नियुक्ति जिला प्राधिकरण द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों में से की जायेगी।"

---

5. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम , 2013, अधिसूचना दिनांक 25.09.2013 राज. राज-पत्र

विशेषांक दिनांक 26.09.2013 से प्रतिस्थापित।

15. धारा 11-क की उप धारा (4) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें और वेतन तथा भत्तेः- (1) तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी , इन नियमों की अनुसूची में प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित वेतनमान में समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे।

(2) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन और भत्तों, फायदों और हकदारियों जैसे समस्त विषयों और अनुशासनात्मक विषयों में तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के उन नियमों द्वारा शासित होंगे , जो समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

(3) तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं , भत्तों और फायदों के हकदार होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

16. किसी व्यक्ति की वार्षिक आय की उच्च सीमा, जो उसे धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं के लिए हकदार बनाती है, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है :- भारत का कोई भी नागरिक , जिसकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय [5]रूपये 3.00 लाख (रुपये तीन लाख) या ऐसी उच्चतर रकम , जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये , से अधिक नहीं है , अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं के लिए हकदार होगा।

17. धारा 10 की उप धारा (4) में निर्दिष्ट से भिन्न लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएंः-कोई व्यक्ति लोक अदालत की न्यायपीठ में सम्मिलित किये जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वहः-

(क) कोई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता , जो कि समाज के कमजोर वर्गों , जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियां , अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी शामिल हैं, के उत्थान में लगा है; या

(ख) कोई प्रतिष्ठित वकील; या

(ग) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो विशेषतया विधिक सेवा स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हितबद्ध हो।

18. विधिक सहायता बोर्ड की आस्तियों का अन्तरणः-(1) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन परः-

(i) राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड विघठित हो जायेगा;

(ii) उक्त बोर्ड से संबंधित सभी स्थावर और जंगम सम्पत्ति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में निहित होगी और इसे प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा अधिनयम, 1987 और तधीन बनाये गये नियमों के उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जायेगा;

(iii) बोर्ड के सभी ऋण और दायित्व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे और तत्पश्चात् उसके द्वारा पूर्वोक्त सम्पत्ति से उन्मोचित और चुकाए जायेंगे।

(2) उच्च न्यायालय , जिला और तालुक स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों/ समितियों के गठन पर निरसित नियमों के अधीन गठित विधिक सेवा समितियों की सभी सम्पत्तियां और आस्तियां इन नियमों के अधीन गठित तत्स्थानी विधिक सेवा प्राधिकरणों/समितियों को अन्तरित और निहित हो जायेंगी।

19. अस्थायी उपबंधः- (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , राजस्थान विधिक सहायता नियम , 1984 के अधीन गठित विद्यमान विधिक सहायता बोर्ड और समितियां तब तक कार्य करती रहेंगी, जब तक राज्य विधिक

6. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम , 2019 , अधिसूचना क्रमांक प.8(2)विधि-2/विरसं/(33)/2005, दिनांक 05.08.2020 राजस्थान राज-पत्र विशेषांक दिनांक 07.08.2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति , जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों का इन नियमों के अधीन गठन नहीं कर दिया जाता।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व नियम 21 के उप-नियम (1) के अधीन निरसित नियमों द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों और प्राधिकार के प्रयोग या तात्पर्थित प्रयोग में राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड या किन्हीं विधिक समितियों में से किसी के भी द्वारा की गई कोई बात या कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत स्वीकृत आवेदन या दी गई सहायता भी है) विधिमान्य रूप से की गई समझी जायेगी, मानो इन नियमों के उपबंध सभी महत्वपूर्ण समयों में प्रवृत्त थे और तद्‌सार उक्त राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड या विधिक सहायता समितियों में से किसी एक द्वारा की गई बात या कार्यवाही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या , यथास्थिति, तत्स्थानी विधिक सेवा प्राधिकरणों/ समिति द्वारा की गई समझी जायेगी।

20. सेवाओं का अन्तरणः- इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड या उसकी समिति का उक्त बोर्ड/समिति के नियोजनाधीन प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी उस तारीख से ही , जिसको ये नियम प्रवृत्त हों, राज्य विधिक सहायता बोर्ड के मामले में तत्स्थानी विधिक सेवा प्राधिकरणों/ समिति का अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जायेगा और उसकी सेवाएं , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन नियमों की अनुसूची या किसी भी अन्य प्रशासनिक अति आवश्यकता के अधीन स्टाफ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी विधिक सेवा प्राधिकरणों/ विधिक सेवा समिति को अन्तरित किये जाने के दायित्वाधीन होंगी।

21. निरसन और व्यावृत्तियां :- (1) नियम 19 और 20 के अध्यधीन रहते हुए राजस्थान विधिक सहायता नियम , 1984 को, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही या जारी किया गया कोई आदेश या अनुदेश इन नियमों के अधीन किया गया था या जारी किया गया समझा जायेगा, मानो ये नियम उस दिन प्रवृत्त थे, जिसको ऐसी बात या कार्यवाही की गई थी या ऐसे आदेश या अनुदेश जारी किये गये थे।

[7]अनुसूची-क

राज्यन विधिक सेवा प्राधिकरण

(नियम 6 और 7 देखिए)

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्याक	अभ्युकक्तियां
1	2	3	4	5
1.	सदस्यक सचिव	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश केडर सुपर टाइम स्केल के अधिकारी को अनुज्ञेय है।	1	राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश संवर्ग के सुपर टाइम स्केल से स्थानान्तरण द्वारा

7. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2017, अधिसूचना दिनांक 02.06.2017 राज. राज-पत्र

विशेषांक दिनांक 02.06.2017 से प्रतिस्थापित।

2.	संयुक्तक सचिव	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश केडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है।	1	राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा
3.	उप सचिव	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कैडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें।	राजस्थान न्यायिक सेवा से स्थानान्तरण द्वारा
4.	उप सचिव प्रशासन (गैर-न्यादयिक)	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
5.	निजी सचिव	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
6.	अतिरिक्त निजी सचिव	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
7.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा के सदस्य से स्थानान्तरण द्वारा
8.	प्रोग्रामर	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत किये जायें	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग , राजस्थान सरकार से स्थानान्तरण द्वारा
9.	निजी सहायक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
10.	प्रशासनिक अधिकारी	वहीं वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-

11.	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
12.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
13.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
14.	कनिष्ठ लेखाकार	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा के सदस्य से स्थानान्तरण द्वारा
15.	आशुलिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
16.	लिपिक ग्रेड-प्रथम	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
17.	लिपिक ग्रेड-द्वितीय	वहीं वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
18.	ड्राइवर	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-

19.	मशीन मैन	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
20.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
21.	स्वीपर	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-

अनुसूची - ख

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

(नियम 9 देखिए)

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्याव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कैडर या सिविल न्यायाधीश कैडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान न्यायिक सेवा से स्थानान्तरण द्वारा
2.	आशुलिपिक ग्रेड-II	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
3.	वरिष्ठ लिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-

4.	कनिष्ठ लिपिक	वहीं वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-

अनुसूची - ग

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(नियम 11 और 12 देखिए)

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कैडर या सिविल न्यायाधीश कैडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान न्यायिक सेवा से स्थानान्तरण द्वारा
2.	कार्यालय अधीक्षक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
3.	आशुलिपिक ग्रेड-II	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
4.	वरिष्ठ लिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
5.	कनिष्ठ लिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-

1	2	3	4	5
7.	स्वीपर	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-

अनुसूची - घ

तालुक विधिक सेवा समिति

(नियम 14 और 15 देखिए)

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्याव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ लिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
2.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-